भारतीय संविधान में अधिकार

मौलिक अधिकार: (अनु 12 से 35 तक) भाग III

- वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य और मौलिक होने के कारण उस देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं तथा जिनमें सामान्यत: राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं।

- संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं।

- सरकार का कोई भी अंग इनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता।

- परंतु ये निरंकुश व असीमित नहीं हैं सरकार इनके प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।

अधिकारों का घोषणापत्र:

- संविधान द्वारा प्रदान किये गये व संरक्षित किये गये अधिकारों की वह सूची जिसे संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है को अधिकारों का घोषणापत्र कहा जाता है।

संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार: हमारे संविधान द्वारा निम्न छ: मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं।

1. समता का अधिकार (अनु० 14 से अनु० 18 तक)

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु॰ 19 से 22 तक)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु॰ 23 से 24 तक)

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु॰ 25 से 28 तक)

5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु॰ 29 से 30)

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु॰ 32 से अनु॰ 35)

समानता का अधिकार: (अनु॰ 14 से 18 तक)

अनु॰ 14 कानून के समक्ष समानता: इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है,

अनु॰ 15 सामाजिक समानता: राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकता,

अनु॰ 16 अवसर की समानता: इसके अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे,

अनु॰ 17 अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत: इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध है।

अनु॰ 18 उपाधियों का अंत: इसके अनुसार सेना तथा विद्या सम्बन्धी उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य

उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनु० 19 से 22 तक)

अनु 19: इसके अन्तर्गत नागरिकों को निम्न 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं।

1. विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. अस्त्र-शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता
3. समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता
4. भ्रमण की स्वतंत्रता
5. निवास की स्वतंत्रता
6. व्यवसाय की स्वतंत्रता

अनु० 20: अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण: इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया हो।

अनु० 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन किये बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनु० 22: इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

× गिरफ्तार व्यक्ति अपनी इच्छा के वकील के माध्यम से अपना बचाव कर सकता है।

- पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करे।

जीवन व स्वतंत्रता के अधि० पर सर्वोच्च न्यायालय का मत :

- इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शोषणमुक्त और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है।

- न्यायालय ने यह भी माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को झोपड़ी व रोटी-रोटी का भी अधिकार हो क्योंकि उसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता।

निवारक नजरबन्दी

- इसका वर्णन संविधान के अनु० 22 (खण्ड-04) में किया गया है। यह सरकार के लिए असामाजिक तत्वों तथा राष्ट्र-द्रोही तत्वों से निपटने का हथियार है। निवारक नजरबन्दी युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए व्यवस्था है।

- इसके तहत किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैर-कानूनी कार्य करने वाला है। इस प्रकार यह बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबन्दी है।

- निवारक नजरबन्दी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। तीन माह बाद ऐसे मामले समीक्षा हेतु सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु 23-24)

अनु 23: मनुष्य के क्रय-विक्रय और बेगार पर रोक :- इसके तहत मनुष्य क्रय-विक्रय, बलात्श्रम या बेगार (जबरदस्ती श्रम) पर रोक लगा दी गयी है।

अनु०24: बाल श्रम निषेध: इसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु० 25-28)

अनु 25: धार्मिक आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता

अनु०26: धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

अनु०27: धार्मिक कार्यों हेतु व्यय की जाने वाली राशि करमुक्त

अनु 28: शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने का अधिकार तथा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार: (अनु० 29-30)

अनु 29: इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है।

अनु 30: अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु०32 से 35क)

- यह अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाया जा सकता है।

- इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किये जाने पर सीधे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जा सकता है।

- इस मौलिक अधिकार को डा० अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी।"

- सर्वोच्च या उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बहाली आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहा जाता है जो निम्न हैं -

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. निषेध आदेश
4. अधिकार पृच्छा
5. उत्प्रेषण

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :

- मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की

शिकायतें मिलने पर जाँच करता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है, यह जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है।

× राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के सम्बन्ध में ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य होते हैं।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व : (अनु. 36 से 51)

भाग (IV)

× निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका को दिये गये ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों का उचित रूप से पालन हो।

× निर्देशक तत्व शासकों हेतु बाध्यकारी नहीं होते हैं,

× ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

× शासकों का नैतिक कर्तव्य है कि वे नीतियाँ बनाते समय इनका पालन करें।

नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण :

1. उद्देश्य सम्बन्धी तत्व :

I. लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना

II. लोगों का जीवनस्तर ऊँचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण

III. अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना,

2. नीति सम्बन्धी:
I समान नागरिक संहिता
II मद्यपान निषेध
III घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना
IV उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक
V ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन

3. ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता:
I. पर्याप्त जीवन यापन
II. महिलाओं व पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी
III. आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार
IV. काम का अधिकार
V. बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

मौलिक अधिकार व निर्देशक तत्वों में अंतर

1. मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं जबकि निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं।

2. मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं।

3. मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है जबकि निर्देशक तत्वों द्वारा

सार्थक लोकतंत्र की स्थापना होती है।

4. मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं जबकि निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

5. मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक है जबकि निर्देशक तत्वों की सकारात्मक प्रवृत्ति है।

संविधान संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

× संविधान संशोधन से सम्बन्धी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण केशवानंद भारती मुकदमे में निर्णय दिया कि संविधान की कुछ मूल ढाँचागत विशेषताएँ हैं जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती।

सम्पत्ति का अधिकार :

× 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।

× वर्तमान में यह अधिकार अनु 300 (क) के तहत एक कानूनी अधिकार है।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

× संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

× 42 वाँ संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूलकर्तव्यों का समावेश किया गया।

इनके उल्लंघन पर किसी दण्ड की व्यवस्था नहीं है,

मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4-A तथा अनु० 51A में जोड़े गये हैं।

समाप्त

PREPARED BY:
RAJENDRA JOSHI
LECTURER POL. SC.
G.I.C THARKOT- BALAKOT
PITHORAGARH